दिनांक 09.04.2015 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में आयोजित मधुबनी जिला के योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः–संचिका में संधारित।

1. **माप–तौल** :– सहायक नियन्त्रक, माप–तौल, मधुबनी द्वारा बताया गया कि जिले में निरीक्षक के मात्र एक निरीक्षक कार्यरत हैं। अगली बैठक में निरीक्षक के कुल स्वीकृत पद एवं कार्यरत पद का विवरण लेकर बैठक उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

   प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि तेल की मापी में प्रयुक्त होने वाले मापक के प्रमाणीकरण हेतु संयुक्त निदेशक–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाय।

2. **गोबर गैस संयंत्र** :– गोबर गैस संयंत्र में प्रधान सचिव द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि टेक्नोलॉजी का Demonstration करने एवं इच्छुक व्यक्तियों को चिन्हित कर लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि शत–प्रतिशत सुनिश्चित की जाय।

3. **वर्मी कम्पोस्ट** :– जिला कृषि पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे वर्मी कम्पोस्ट के अनुदान का भुगतान 15 से 20 अप्रैल तक निश्चित रूप से कर दें।

   प्रधान सचिव द्वारा वर्मी कम्पोस्ट वितरण की जाँच कराने एवं सत्यापन कराने का निदेश दिया गया। जिले में कितना वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन एवं वितरण हुआ, इसका प्रतिवेदन अगली बैठक में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

4. **सूक्ष्म पोषक तत्व योजना** :– इस योजना में जिले की उपलब्धि असंतोषजनक पायी गयी।

   अगली बैठक में डीलरवार बिक्री एवं किसानों की सूची के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया ताकि उसे सत्यापित कराया जा सके।

5. **बायोपेस्टिसाईड** :– इस योजना में मधुबनी जिले में व्यय मात्र 80 प्रतिशत पायी गयी। अगली बैठक में एजेंसीवार बिक्री का प्रतिवेदन लाने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।

   निदेशक, कृषि को निदेश दिया गया कि इस तरह का समरूप निर्देश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को देने हेतु पत्र निर्गत किया जाय।

6. **बीजोपचार** :– इस योजना में लक्ष्य 99 हजार रूपये के विरूद्ध उपलब्धि 80700/–रूपये है। प्रधान सचिव द्वारा असंतोषजनक उपलब्धि का कारण पूछे जाने पर पौधा संरक्षण पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट जबाव नहीं दिया गया।

   अगली बैठक में बीज कंपनीवार तथा जिलावार पूर्ण विवरणी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

7. **कृषि यांत्रिकरण योजना** :– जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा बताया गया कि कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत जिले का वित्तीय लक्ष्य 6.874 करोड़ है, जिसके विरूद्ध 4.324 करोड़ रूपये सब्सिडी का भुगतान किया गया है। इस पर श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन रिर्पोटिंग के अनुसार इनके द्वारा 3.00 करोड़ रूपये की ही सब्सिडी का भुगतान किया गया है। जिले में 5044 लाभुकों को अनुदान देना था, जिसके विरूद्ध 2578 लाभुकों को अनुदान दिया गया है।

प्रधान सचिव द्वारा सभी प्रमंडलों के एक–एक कृषि फार्म के लिए लैंड लेजर लेवलर का क्रय करने के प्रस्ताव को उपस्थापित करने का निर्देश श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण को दिया गया। इसके उपयोग हेतु ट्रैक्टर की व्यवस्था भाड़े पर की जाएगी, क्योंकि ट्रैक्टर चालकों की कमी है।

निदेश दिया गया कि सभी लाभान्वित कृषकों को राशि हस्तगत करा दिया जाय, क्योंकि Software 15 अप्रैल, 2015 तक ही कार्य करेगा। यह भी निदेश दिया गया कि खेती में जीरो टिलेज मशीन का प्रयोग करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय। निदेशक, बामेती को जिले में जिरो टिलेज का प्रशिक्षण आयोजित करने का निदेश दिया गया।

योजना के कार्यान्वयन के उपरांत जो राशि अवशेष रह गयी है एवं राशि की आवश्यकता नहीं है, उस पर प्रधान सचिव द्वारा शीघ्र निर्णय लेने का निदेश दिया गया।

8. **रब्बी अभियान** :– मधुबनी जिले में रब्बी योजना की प्रगति निराशाजनक पायी गयी। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मसूर बीज की विलंब से उपलब्धता के कारण मसूर का वितरण नहीं किया जा सका। निदेशक, कृषि को निर्देश दिया गया कि बीज कंपनीवार एक तिथि निर्धारित कर, उनसे वार्ता करके विलंब हाने के कारणों का निदान कराया जाय।

जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि रब्बी अभियान के तहत मक्का एवं मटर के बीज का भौतिक सत्यापन एवं कैशबुक की जाँच शीघ्र पूरा कर लिया जाय।

मक्का एवं दलहन के अतर्वर्ती फसल प्रत्यक्षण में कितना उत्पादन हुआ, इसका आँकड़ा प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

9. **Crop Cutting** :- जिले में Crop Cutting के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पायी है। निर्देश दिया गया कि लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय। अगली बैठक में पूर्ण विवरणी लेकर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

10. Inter Cropping के संबंध में Demo के प्रशिक्षण के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश निदेशक, बामेती को दिया गया।

11. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन** :– जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में चावल में 79 प्रतिशत एवं दलहन में 50 प्रतिशत उपलब्धि है। निर्देश दिया गया कि लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

12. **<u>मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना</u>** :– जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना में जिले में धान, गेंहूँ, मसूर एवं अरहर में उपलब्धि 100 प्रतिशत एवं NFSM योजनांतर्गत अरहर में उपलब्धि 50 प्रतिशत है। बताया गया कि जिले में चना का बीज उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इस पर प्रधान सचिव द्वारा पूछा गया कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना अरहर में उपलब्धि 100 प्रतिशत एवं NFSM योजनांतर्गत उपलब्धि 50 प्रतिशत है। यह अंतर क्यों है? इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट जबाव नहीं दिया जा सका। अगली बैठक में पूर्ण विवरणी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

13. **<u>बीज ग्राम योजना</u>** :– मधुबनी जिले में चावल में लक्ष्य 1552 क्विंटल के विरूद्ध उपलब्धि 463 क्विंटल एवं गेंहूँ में लक्ष्य 4200 क्विंटल के विरूद्ध उपलब्धि शत–प्रतिशत प्रतिवेदित की गयी।

खरीफ योजना अंतर्गत अनुदानित दर पर बीज वितरण के लिए बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु 15 मई के पूर्व आवश्यक योजना तैयार करके, बीज कंपनियों से समन्वय करके करने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी को दिया गया।

प्रखंडवार डीलर का शत–प्रतिशत Identification सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

14. **<u>डीजल अनुदान</u>** :– मधुबनी जिले की डीजल अनुदान वितरण में उपलब्धि असंतोषजनक पायी गयी। जिले में डीजल अनुदान वितरण का डी०सी० विपत्र लंबित पाया गया।

प्रधान सचिव द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने एवं डी०सी० विपत्र शीघ्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

15. **<u>ई–किसान भवन</u>** :– ई–किसान भवन की समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को ई–किसान भवन में शौचालय, पानी की सुविधा, बिजली आपूर्ति आदि उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी पूर्ण विवरणी एवं फोटोग्राफ लेकर अगली बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

16. **<u>नमूना जाँच</u>** :– मधुबनी जिले में उर्वरक का 08 अमानक नमूना जाँच पाये गये हैं। अमानक बीज उपलब्ध कराने के संबंध में संबंधित डीलर पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश संयुक्त कृषि निदेशक, दरभंगा प्रमंडल को दिया गया एवं अगली बैठक में पूर्ण विवरणी के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

17. **<u>कृषि फार्म</u>** :– जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिले में उपलब्ध कृषि फार्म के स्टोरेज, गोदाम आदि के संबंध में पूर्ण विवरणी के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

18. **<u>बाजार समिति</u>** :– बाजार समिति प्रांगणों में हो रहे अतिक्रमण एवं चहारदीवारी के संबंध में अगली बैठक में पूर्ण विवरणी के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

19. **उद्यान योजना** :– उद्यान योजना की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिलों में अवस्थित नर्सरी की सूची एवं वहाँ उपलब्ध आधारभूत संरचना का विस्तृत विवरण अगली बैठक में उपलब्ध करायेंगे।

उद्यान योजना से लाभान्वित कृषकों का सत्यापन कृषि समन्वयक से कराकर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

स्पेशल कंपोनेंट में सीड्स का पैकेट यथा कद्दू, भिंडी, हाइब्रिड–सी आदि की उपलब्धता पर जोर दिया गया। इस पर 10 दिनों के अंदर योजना बनाकर प्रस्तुत करने एवं कोल्ड स्टोरेज हेतु विज्ञापन प्रकाशन का प्रारूप एवं पूर्ण प्रतिवेदन के साथ उद्यान निदेशालय के पदाधिकारी को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

20. **उद्यान नर्सरी** :– सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी द्वारा बताया गया कि जिले में 07 नर्सरी अवस्थित हैं।

मुख्य रूप से पपीता के पौधे की उपलब्धता हेतु पॉली हाऊस या नेट हाऊस बनाने का निर्देश सहायक निदेशक, उद्यान, मधुबनी को दिया गया। निर्देश दिया गया कि अगली बैठक में नर्सरी की संबंध में पूर्ण विवरणी के साथ उपस्थित हों।

21. **राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र** :– राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि प्रक्षेत्रों में उपलब्ध आधारभूत संरचना यथा–प्रक्षेत्र का रकबा, बाउन्ड्री, बिजली कनेक्शन ट्रान्सफर्मर, पानी, बोरिंग, कार्यालय–सह–गोदाम भवन, थ्रेसींग फ्लोर एवं ड्रेनेज की व्यवस्था इत्यादि संबंधी प्रतिवेदन एवं प्रक्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकता संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

22. **हरित चादर योजना** :– इस योजना के अन्तर्गत वितरीत किये जा रहे मूंग बीज का भौतिक् सत्यापन दिनांक 10.04.2015 तक एवं ढैंचा बीज का भौतिक सत्यापन दिनांक 30.06.2015 तक कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार से कराने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।

23. **Oil Extraction Plant** :- जिलों में कितना Oil Extraction Plant, किस क्षेत्र में एवं कहाँ अवस्थित है, इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।

24. **आत्मा योजना** :– आत्मा योजना अन्तर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों एवं सरकारी नर्सरी में प्रत्यक्षण कराने हेतु कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।

निदेशक, बामेती को निदेश दिया गया कि आत्मा योजना अन्तर्गत जिलों में कितनी राशि अवशेष है इसका येाजनावार एवं खातावार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

25. अगली बैठक में कोर्ट केस यथा सिविल रिट (CWJC) एवं अवमाननावाद (MJC)/सेवांत लाभ/ए0सी0/डी0सी0 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र/अंकेक्षण/जनशिकायत/राजस्व संग्रह से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।